(viii) Insure adequate inputs of the right quality;

(ix) Modernise and refurbish existing ageing and obsolecent plants/equipment; and

(x) Intensify research and development efforts.

(2) Non- productive expenditure is being cut down.

(3) Change in work culture conducive to higher production and productivity is being effected.

(4) Cost control devices and cost reduction measures are continuously being made more effective.

(i) There is regular monitoring of cost of production at plants level. The variances are brought to the notice of shop level management and discussed for corrective action.

(ii) The cost statements are being analysed at the corporate office and observations of the corporate office on the adverse trends, wherever noticed, are brought to the notice of plant management for corrective action.

Import of Nemacur

3313. SHRI B. SATYANARAYAN REDDY: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Nemacur gave excellent results in the management of root-knot nemetodes to tobacco;

(b) whtther Government are likely to take immediate steps for manufacture or import of Nemacur; and

(c) if so, what are the details thereof and if not the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) Yes, Sir, It is a fact that Nemacur (Phenamiphos) is effective for the management of Root knot nematodes of tobacco crop.

(b) and (c) The manufacture or import of Nemacur could be undertaken only after this product is included in the Schedule to the Insecticides Act, 1968 and registered in the country. The Central Insecticide Board has recommended the inclusion of this product in the Schedule to the above Act. After the inclusion, entrepreneurs would be able to apply for registration of the products and also take subsequent steps for its manufacture or import.

पशु कल्याण बोर्ड के पदाधिकारी

3314. **श्री अश्विनी कुमार** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पशु कल्याण बोर्ड का गठन कब हुआ और गत तीन वर्षों के दौरान इसके पदाधिकारी कौन-कौन थे। और इस बोर्ड के वर्तमान एकाधिकारियों के नाम और पते क्या हैं ; और

(ख) क्या यह सच है कि इस बोर्ड में न तो हिन्दी में कोई काम हो रहा है और न ही इसमें कोई हिन्दी अधिकारी नियुक्त है ;

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना 19 मार्च, 1962 को की गई थी। बोर्ड के पुनर्गठन होने तक डा० ओ० एन० सिंह पशुपालन आयुक्त, भारत सरकार और बोर्ड के पदेन सदस्य ने 30-7-81 से 28-9-84 तक पशु कल्याण बोर्ड पर पूर्ववत कार्य किया।

श्रीमती रुक्मिनी देवी अरुणदेल को 29.9.84 से बोर्ड से अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था और वे 24-2-86 तक, जबकि उनका देहांत हुआ, अध्यक्षा बनी रहीं।

4 जुलाई, 1986 से श्री एम० सी० डागा, संसद सदस्य को बोर्ड के अध्यक्ष

के रूप में नामित किया गया था और वे अब तक इसके अध्यक्ष के रुप में कार्य कर रहे हैं। बोर्ड के वर्तमान सदस्यों के नामों और पतों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। (नीचे देखिए)

(ख) जी नहीं। यह सच है कि भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, मद्रास में हिन्दी अधिकारी का कोई पद नहीं है। इसके स्थान में, बोर्ड के वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक का पद है। वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक की 28-12-82 से नियुक्ति की गई थी, परन्तु बाद में उसने त्यागपत्र देकर बोर्ड को छोड़ दिया। कर्मचारी चयन आयोग, मद्रास इस पद के लिए उम्मीदवार का चयन करने के लिए आवश्यक कार्यवाही कर रहा है। चयन होने के बाद शीघ्र ही नियुक्ति का आदेश जारी किया जाएगा। बोर्ड में एक हिन्दी टाइपिस्ट का भी पद है, जो 6-5-83 से भरा गया था। यह पद 30-4-85 से रिक्त है, क्योंकि उक्त पदधारी अवर श्रेणी लिपिक के रुप में नियुक्त किया गया। कर्मचारी चयन आयोग मद्रास ने हिन्दी टाइपिस्ट का चयन कर लिया है। और उसकी नियुक्ति का आदेश जारी कर रहा है।

भारतीय पशु कल्याण बोर्ड नीचे दिए गए तथ्यों के अनुसार हिन्दी में कार्य कर रहा है :-

1. बोर्ड अपने कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष हिन्दी प्रशिक्षण योजना के अधीन प्रशिक्षण पाने के लिए प्रायोजित कर रहा है।

2. बोर्ड कार्यालय के नाम पट्टों और रबड़ मोहरों तथा सील आदि का नियमित प्रयोग में राजभाषा कार्यान्वयन समिति के निदेशों का पालन कर रहा है।

3. बोर्ड अपने सरकारी मुखपत्र, "एनिमल सिटीजन" नामक त्रैमासिक मैगजीन हिन्दी खंड के साथ अंग्रेजी में प्रकाशित कर रहा है।

4. बोर्ड अपना कलेंडरों, इश्तहारों, पुस्तिकाओं, मर्सी स्टाम्पों आदि को प्रत्येक वर्ष हिन्दी और अंग्रेजी में भी प्रकाशित कर रहा है।

5. बोर्ड ने अब तक हिन्दी में निम्नलिखित पुस्तकें प्रकाशित की हैं:—

1. गिलहरी की कही कहानियां,
2. सारनाथ ठाठ चे लघु कथाएं,
3. पशु कथाएं बच्चों के लिए।

6. बोर्ड अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष अंग्रेजी और हिन्दी में प्रकाशित करता है।

7. बोर्ड आवश्यकता पड़ने पर अपना पत्र-व्यवहार हिन्दी में भी करता है।

8. बोर्ड ने 17-10-86 को एक वरिष्ठ हिन्दी आशुलिपिक भी नियुक्त किया है और अपनी सातवीं पंचवर्षीय योजना में कुछ नए हिन्दी पदों के लिए प्रस्ताव शामिल किए हैं।

विवरण

पशु कल्याण बोर्ड के सदस्यों के नाम व पते

अध्यक्ष

1. श्री एस० सी० डागा, संसद सदस्य
संख्या 140, संसद भवन, तीसरी मंजिल
नई दिल्ली-110001.

सदस्य

2. श्री माधव राव सिन्धिया, संसद सदस्य,
रेल राज्य मंत्री,
(प्रतिनिधि भारतीय जीवजन्तु बोर्ड)
7 ए० बी, तिलक मार्ग,
नई दिल्ली -110001.

3. श्री पी० चिदम्बरम, संसद सदस्य
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन
राज्य मंत्री
तमिलनाडु भवन,
नई दिल्ली-110001.

4. श्री मनवेन्द्र सिंह, संसद सदस्य
506, विदेश मंत्रालय होस्टल,
नई दिल्ली ।

5. श्री प्रकाश चन्द, संसद सदस्य,
107, नाथ एवेन्यू,
नई दिल्ली–110001.

6. श्री सी० जंगा रेड्डी, संसद सदस्य,
127–129, साऊथ एवेन्यू,
नई दिल्ली–110011.

7. श्री एरा साम्बाशिवम, संसद सदस्य
संख्या 37, साऊथ एवेन्यू,
नई दिल्ली–110001.

8. श्री पीला रामकृष्णा,
सचिव,
आंध्र प्रदेश जीव रक्षा संघम,
गुन्टूर-522003 (आंध्र प्रदेश)

9. श्री तिलक राज,
अवैतनिक सचिव,
पशु क्रूरता निवारण समिति,
अमृतसर, ढब वस्ती राम,
अमृतसर–143001

10. श्री राज किशोर सिंह,
सचिव,
राज्य पशु क्रूरता निवारण समिति,
बिहार
अनुग्रह भवन डाकखाना,
सदाकत आश्रम,
पटना–800010 (बिहार)

11. श्री एल० एच० ए० रेगो,
विशेष सचिव,
तथा जीवजन्तु विभाग,
भारत सरकार,
कृषि भवन,
नई दिल्ली–110001.

12. डा० ए० के० चटर्जी,
पशुपालन आयुक्त,
भारत सरकार, कृषि मंत्रालय,
कृषि भवन, नई दिल्ली–110001.

13. श्री वाई०एन० चतुर्वेदी,
संयुक्त सचिव,
शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय,
(शिक्षा विभाग),
भारत सरकार,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली–110001.

14. डा०बी०के० वर्मा,
निदेशक,
आपातकालीन चिकित्सा राहत,
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय
555–ए, निर्माण भवन,
नई दिल्ली–110011.

15. श्री वैद्य सतीश वर्मा,
प्रबन्ध निदेशक, इन्डिया मेडिसिन्स
फार्मेस्यूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड,
मोहन (जिला–अल्मोड़ा),
वाया-रामनगर–244715
(उत्तर प्रदेश)

16. श्री प्रमोद, कुमार,
नगर निगम पार्षद,
1589, मद्रास रोड,
कश्मीरी गेट, रेलवे क्वार्टर्स,
नई दिल्ली–110006

17. डा० कैलाश शर्खला,
21-धूलेश्वर गार्डन,
जयपुर–302001

18. कैप्टन वी० सुन्दरम्,
अध्यक्ष ब्लू क्रोस आफ इण्डिया,
1–फिफथ एवेन्यू,
बेसेन्ट नगर,
मद्रास–600090

19. कुमारी क्रिस्टल रोजर्स,
एच० आई० एस० सैन्क्यूअरी,
दुर्गापुरा,
जयपुर–302015

20. श्रीमती शान्ति पहाड़िया, संसद सदस्य
बीकानेर हाऊस एनेक्सी,
पन्डारा रोड, नई दिल्ली ।

21. श्री दशरथ भाई एम० ठक्कर,
अवैतनिक सचिव,
बम्बई ह्यूमैनिटेरियम लीग,
"दया मन्दिर" (125-127 गुम्बादेवी रोड
बम्बई – 400003 (महाराष्ट्र)

22. मेहसाना जिला पशु कल्याण समिति का प्रतिनिधि,
कापड़ बाजार,
वादनगर – 2384355
(नार्थ गुजरात)

23. असम राज्य पशु क्रूरता, निवारण समिति का प्रतिनिधि, छाबड़ा भवन,
एम० एस० रोड, गोहाटी–81001
(असम)

24. गृह मंत्रालय का प्रतिनिधि,
नार्थ ब्लाक, भारत सरकार,
नई दिल्ली–110001.

25. डा० अशोक अनन्त पादलकर,
प्रबंधक, देयोनार एबोटोयर,
बम्बई नगर निगम, बम्बई ।

26. डा० पी० ए० ब लू
भारतीय पशु-चिकित्सा संघ,
मद्रास ।

Evaluation of research institutes

3315. SHRI TALARI MANOHAR: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether ICAR and other such Institutes are to be evaluated every five years and if so, the names of Institutes which have not been evaluated within one year after the five year period was over and reasons therefor;

(b) whether recommendations of the Evaluation Committee were fully implemented within one year of receipt of its reports and if not names of Institutes where these could not be implemented alongwith reasons therefor;

(c) whether recommendations in some cases are pending for over five years and if so, details thereof; and

(d) whether evaluation reports have been made public and if so, the number of copies sold/distributed so far?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) to (c) The Information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha.

(d) No, Sir. The reports of the Evaluation Team are used only for official purpose.

Merger of NDDB with IDC

3316. SHRI TALARI MANOHAR: SHRI RAM AWADESH SINGH:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government have taken any decision in respect of enacting a legislation to set up a statutory corporation to take over the functions of the NDDB and into IDC as recommended by Committee on Public Undertaking in 1976 and again in 1986 and later by the high powered L. K. Jha Committee;

(b) whether it is a fact that the IDC-NDDB Chairman is involved in hurried winding up of IDC by transfer of IDC staff to remote places unauthorisedly; and

(c) whether it is also a fact that Government nominees on IDC-NDDB Board have been drastically reduced to help the one-man control on NDDB-IDC Board by the non-official lifelong Chairman?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF FERTILIZER IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI R. PRABHU): (a) The question relating to merger of